



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

## 65 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 07 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही के तहत थाना तालगांव, महोली, सकरन, मछरेहटा पुलिस द्वारा 07 व्यक्ति गिरफ्तार कर कुल 65 लीटर अवैध शराब बरामद की गयी। विवरण निम्नवत् है

1. थाना तालगांव द्वारा 01 अभियुक्त के कब्जे से 05 ली0 शराब बरामद- दिनांक 31.10.2020 को 1.नीरज पुत्र मन्नु पासी निवासी पट्टी सेवई थाना तालगांव जनपद सीतापुर कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर क्रमशः मु0अ0सं0 355/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
2. थाना महोली द्वारा 02 अभियुक्त के कब्जे से 20 ली0 शराब बरामद- दिनांक 31.10.2020 को 1.पप्पू पासी निवासी मल्हपुर थाना महोली 2. मातादीन पुत्र हीरालाल निवासी गिरिघरपुर थाना महोली जनपद सीतापुर कब्जे से क्रमशः 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर क्रमशः मु0अ0सं0 428/20,430/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
3. थाना सकरन द्वारा 03 अभियुक्त के कब्जे से 30 ली0 शराब बरामद- दिनांक 31.10.2020 को 1.विनोद पुत्र तिलकू निवासी दुगनिया थाना सकरन 2. जय प्रकाश पुत्र श्रीकृष्ण निवासी दुगनिया थाना सकरन 3. रमेश पुत्र बिहारीलाल निवासी हाजीपुर थाना सकरन जनपद सीतापुर कब्जे से क्रमशः 30 लीटर अवैध कच्ची शराब व बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0 276/20,277/20,278/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
4. थाना मछरेहटा द्वारा 01 अभियुक्त के कब्जे से 10 ली0 शराब बरामद- दिनांक 31.10.2020 को 1. विमलेश पासी पुत्र राम कुमार पासी निवासी बरईखेडा थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर के कब्जे से क्रमशः 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 249/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।